

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

332, हिन्द नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226021
फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार बैद्य,
26, माल ऐवन्यू,
लखनऊ।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 264 दिनांक 11.08.14 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम नटकुर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० 13-15 दि० 04.04.13 के भूखण्ड संख्या/गाटा संख्या 48,51,52,53 व 54 भाग पर संशोधित भू-विन्यास के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर



02/03/16

अधिकारी का नाम - श्री एस०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - वरिष्ठ प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या
795

दिनांक 02/03/2016

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या / ल0औ0वि0प्रा0

दि0.....

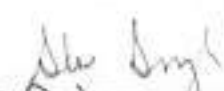
निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

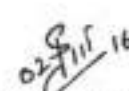
यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिंग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ प्रदीप कुमार बैद्य, 26 मॉल ऐवन्यू, लखनऊ द्वारा ग्राम नटकुर, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं0 13-15 दि0 04.04.13 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत है। स्वीकृत भू-विन्यास का संशोधित भू-विन्यास मानचित्र आवेदन सं0 264 दि0 11.08.14 द्वारा उसी गाटों में विस्तारित मानचित्र 595.22 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (भूविन्यास जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (भू-विन्यास) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 153/लीडा/सी.ई.ओ./2014-15 के नोट पृष्ठ सं0 1से 16 पर दिनांक 26.02.16 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।


सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन - लखनऊ)


प्रबंधक (परि0)


सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर


वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक-

नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पोंच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू-विन्यास का विकास शर्तानुसार / आज्ञानुकूल नहीं विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जाये। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई भू-विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो उनके विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू-विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।

2. विकास/निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिक सिटी रूलर्स के नियम 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह भू-विन्यास विकास को रोक अथवा हटा सकता है।
3. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।
4. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर विकास आदि हटावे जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी भू-विन्यास विकास को प्रारम्भ करे।

शर्तें

5. शर्तें

1. भू-विन्यास हेतु प्रस्तावित स्थल में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, सड़क वाटर सप्लाई, वाहय विद्युतीकरण, सेप्टिक टैंक, रेन हार्वेस्टिंग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेंगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यो को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
2. वाहय अवस्थापनागत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमोदन के उपरांत स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासात्मक कार्यो के विरुद्ध कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा। वर्तमान में निर्धारित वाहय विकासात्मक शुल्क के आंशिक भाग को रु० 150.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से आवेदक द्वारा जमा किया जा रहा है। भविष्य में प्राधिकरण


M.P.

द्वारा संबंधित क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने की स्थिति में तत्समय निर्धारित वाह्य विकासात्मक शुल्क के आधार पर आवेदक द्वारा वर्तमान में जमा आंशिक विकासात्मक शुल्क को समायोजित करने के पश्चात अवशेष वाह्य विकासात्मक शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में किया जायेगा, जिससे आवेदक सहमत है।

4. भूखण्डों की साइज व क्षेत्रफल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही रहेगा।
5. भूखण्डों का व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा जो भी निर्माण कराया जायेगा उसका मानचित्र लीडा भवन विनियमावली, निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत लीडा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
6. वृक्षारोपण स्वयं के खर्चे पर आवेदक द्वारा कराया जायेगा।
7. जारी अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैध होगी। वैधता अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
8. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
9. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिट-ऑन-एज' / लूज स्टोन पेवमेन्ट' का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।
10. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
11. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फॉर्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
12. आवेदक द्वारा यथा वांछित (as applicable) भारत सरकार की ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 के आधार पर पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त की जायेगी।
13. प्राधिकरण द्वारा समय-2 पर आवेदक से भोंगें जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।
14. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।



15. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी० व आर्की० की देखरेख में विकास कार्य कराया जायेगा। तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
16. प्राधिकरण के सहा० प्रबंधक परि० अथवा अन्य अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
17. प्राधिकरण की भवन नियमावली, अनुमोदित उपविभाजन तलपट मानचित्र के प्राविधान एवं अन्य शर्त आवेदक को मान्य होगी।
18. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
19. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
20. विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र के अनुसार मानचित्र में दर्शित भूखण्ड संख्या ए-13 से 27, बी-68,69 को प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखा जाता है। समस्त आंतरिक विकासात्मक कार्यों के उपरांत एवं विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात ही बन्धक भूखण्डों को अवमुक्त किया जायेगा। जिसके उपरांत ही संबंधित भूखण्डों का विक्रय आदि सम्भव होगा।

सहायक प्रबंधक (परि०)

प्रबंधक (परियोजना)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

पत्र सं० / लीडा / ए०सी०ई०ओ / 153

दिनांक

प्रतिलिपि-

1. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सहा० प्रबंधक परि० (जोन-लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

वरि० प्रबंधक (परियोजना)